152

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक : तीन–निगरानी/रीवा/भू.रा./2017/2360 – विरूद्ध आदेश दिनांक 22–7–2017 – पारित द्वारा – अनुविभागीय अधिकारी, त्योंथर जिला रीवा – प्रकरण कमांक 87 अ–27/16–17 अपील

नन्दलाल पुत्र बाबूलाल गुप्ता
ग्राम बरौली ठ्कुरान
तहसील जवा जिला रीवा ---आवेदक

विरूद्ध

1– बाबूलाल पुत्र मुन्नालाल
2– प्रमोदकुमार पुत्र अमृतलाल
3– जवाहरलाल 4– मोहनलाल
5– सुमन 6– शिवदयाल पुत्रगण मोतीलाल
7– कस्तूरीलाल पुत्र मुन्नालाल
सभी बरोली ठ्कुरान तहसील जवा
जिला रीवा मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री आर0एस0सेंगर)

आ दे श

(आज दिनांक 21–03–2018 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, त्योंथर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 87 अ–27/16–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 22–7–17 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने तहसीलदार जवां के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 178 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत आवेदक एंव अनावेदक की सामिलाती भूमि स्थित ग्राम बरौली ठकुरान सर्वे कमांक 104/3, 336!2, 334/1 कुल किता 3 कुल रकबा 0.506 हैक्टर का बटवारा किये जाने की मांग की, जिस पर तहसीलदार जवां ने प्रकरण कमांक 204/अ-27/2015-16 पॅजीबद्ध किया तथा पक्षकारों की सुनवाई हेतु इस्तहार का प्रकाशन कराया। इस्तहार प्रकाशन उपरांत आपत्ति न आने पर प्रत्येक सहखातेदार को व्यक्तिगत सूचना जारी की गई। सहखातेदार सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई। तदुपरांत आदेश दिनांक 19-9-2016 पारित किया गया तथा पक्षकारों के बीच वादग्रस्त भूमि का बटवारा कर दिया गया। तहसीलदार के आदेश दिनांक 19-6-16 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर जिला रीवा के समक्ष अनावेदकगण ने अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर ने प्रकरण कमांक 87 अ-27/16-17 पर अपील पॅजीबद्ध कर सुनवाई प्रारंभ की। सुनवाई के दौरान आवेदक की ओर से आपत्ति की गई कि तहसील न्यायालय में उत्तरवादी ने पटवारी व्दारा तैय्यार फर्द (पुल्ली) पर समहति देकर हस्ताक्षर किये है एंव तहसीलदार व्दारा सहमति के आधार पर पारित आदेश के विरूद्ध अपील प्रचलन-योग्य नहीं है इसलिये अपील इसी-स्तर पर निरस्त की जाय। अनुविभागीय अधिकारी ने आपत्ति आवेदन पर पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 22-7-17 पारित किया तथा आवेदक की आपत्ति अमान्य की गई। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने। अनावेदकगण के अभिभाषक ने लेखी बहस भी प्रस्तुत की। अधीनस्थ

न्यायालय के अभिलेख के साथ लेखी बहस का भी अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अनावेदकगण के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत लेखी बहस के तथ्यों के साथ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से देखना यह है कि क्या तहसील न्यायालय व्दारा भेजे गये सूचना पत्र अनावेदकगण पर निर्वाहित हुये हैं अथवा नहीं एंव तहसील न्यायालय के प्रकरण में हलका पटवारी व्दारा तैयार करके प्रस्तुत की गई फर्द (पुल्ली) पर अनावेदकगण के हस्ताक्षर हैं अथवा नहीं ? तहसील न्यायालय के प्रकरण में पृष्ठ 25 पर खाते के बटवारा प्रारूप 'क' नियम दो के सूचना पत्र की प्रति संलग्न है जो बाबूलाल तनय मुन्नालल गुप्ता को सम्बोधित होकर जारी है जिसके पीठ पृष्ठ पर बाबूलाल के हस्ताक्षर है। इसी प्रकार पृष्ठ 26 पर प्रमोकुमार , पृष्ठ 29 पर कस्तूरीलाल, पृष्ठ 31 पर जवाहरलाल, पृष्ठ 33 पर मोहनलाल, पृष्ठ 35 पर सुमन गुप्ता, पृष्ठ 37 पर शिवदयाल , पृष्ठ 39 पर मु. वेवी के सूचना पत्र संलग्न है जिनकी पीठ पृष्ठ पर सभी के पावती के हस्ताक्षर हैं एंव पृष्ठ 39 पर मु. वेवी के निशानी अँगूठा हैं अर्थात सभी पक्षकारों को तहसीलदार ने व्यक्तिगत सूचना जारी की है किन्तु सूचना निर्वहन होने के वाद भी वह तहसीलदार के समक्ष अनुपस्थित रहे हैं, जिसके कारण तहसीलदार ने उक्त के विरूद्ध अंतरिम आदेश दिनांक 8-8-16 से एकपक्षीय कार्यवाही की है । तहसीलदार का अंतरिम आदेश दिनांक 8-8-16 के विरूद्ध किसी भी अनावेदक ने निगरानी नहीं की है जिसके कारण आज की स्थिति में तहसीलदार का अंतरिम आदेश दिनांक 8-8-16 अंतिम है, परन्तु इस पर अनुविभागीय अधिकारी व्दारा गौर न किये जाने से उनके व्दारा पारित आदेश दिनांक 22-7-17 दोषपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5/ अनावेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि सभी अनावेदकगण के जो हस्ताक्षर हैं वह उनके व्दारा नहीं किये गये हैं कपटपूर्ण कार्यवाही करके हलका पटवारी ने फर्द (पुल्ली) तैयार की है। विचार योग्य है कि यदि एक

अनावेदक के हस्ताक्षर को यदि संदेहास्पद मान लिया जाय तब क्या तहसील न्यायालय व्दारा 7 अनावेदकगण के कूटरचित हस्ताक्षर करके व्यक्तिगत सूचना पत्र निर्वहन होना माना है ? अनावेदकगण के अभिभाषक व्दारा दिया गया यह तर्क माने जाने योग्य नहीं है क्योंकि पटवारी ने फर्द (पुल्ली) मौके की स्थिति के मान से तैयार की है और गॉव में पटवारी जाये तथा मौके पर ग्रामीणों के समक्ष फर्द पुल्ली तैयार करे, तब यह नहीं माना जा सकता कि अनावेदकगण को फर्द (पुल्ली) पटवारी व्दारा तैयार करने की जानकारी नहीं हुई हो। पटवारी व्दारा तैयार फर्द (पुल्ली) पर नीचे निम्नानुसार हस्ताक्षर एंव निशानी अगूँठा बने हैं :-

(1)बाबूलाल (2) कस्तूरीलाल (3) प्रमोदकुमार (4) जवाहरलाल (5)सुमन गुप्ता (6) शिवदयाल (7) मोहनलाल (8) नंदलाल गुप्ता(9) नि0अ0 मु.वेवी

उपरोक्तांकित पक्षकारों के पटवारी फर्जी एंव बनावटी हस्ताक्षर/ निःअंगूठा क्यों बनायेगा - अनावेदकगण के अभिभाषक का यह तर्क संदेह को जन्म देता है स्पष्ट है कि फर्द पर इन्हीं पक्षकारों के निशानी अॅगूठा एंव हस्ताक्षर हैं, जिसके कारण अनावेदकगण के अभिभाषक व्दारा तर्को में की गई यह आपत्ति माने जाने योग्य नहीं है।

6/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कानुक्रम में विचार किया गया कि जब पक्षकार तहसील न्यायालय में व्यक्तिगत सूचना उपरांत उपस्थित नहीं हुये, उनके व्दारा एकपक्षीय आदेश के विरूद्ध निगरानी न करने से तहसीलदार का अंतरिम आदेश दिनांक 8-8-16 अंतिम है एंव पटवारी फर्द पर सहमति के पक्षकारों के हस्ताक्षर है तब क्या ऐसे बटवारा आदेश के विरूद्ध अपील प्रचलन-योग्य है ?

नन्नूराम विरूद्ध देवीलाल 1978 (2) म0प्र0वीकली नोट 222 उच्च न्यायालय, हरवाई विरूद्ध रणीवीर सिंह 2016 रा0नि0 43, गुडडीवाई विरूद्ध बलवीर सिंह 2014 रा0नि0 220 में बताया गया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की

धारा 96 (3) के अनुसार पक्षकारों के बीच सहमति व्दारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील नहीं होगी। ऐसी ही स्थिति इस प्रकरण की है विचाराधीन मामले में यदि पक्षकार तहसीलदार के बटवारा आदेश दिनांक 19-6-16 से असमत है - उपचार केवल व्यवहार वाद है, जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी, त्योंथर जिला रीवा व्दारा प्रकरण क्रमांक 87 अ-27/16-17 अपील में पारित आदेश दिनांक 22-7-17 त्रृटिपूर्ण होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी, त्योंथर जिला रीवा व्दारा प्रकरण क्रमांक 87 अ-27/16-17 अपील में पारित आदेश दिनांक 22-7-17 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव तहसीलदार जवां व्दारा प्रकरण क्रमांक 204/अ-27/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 19-9-2016 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर